विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 33 / 2024
दायरा दिनांकः–24.07.2024
निर्णय दिनांकः– 11.12.24

उनवान

बनवीर पुत्र रामचन्द्र उम्र 44 वर्ष जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजराज सिंह राजावत – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 194/1 रकवा 0.7588 हैक्टयर वाके माल रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान मे अवस्थित है। वादी के पिताजी का फौती इन्तकाल खोला उस समय राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने सहवन से वादी का नाम बनवीर के स्थान पर बलवीर दर्ज हो गया है। उक्त नाम का शुद्धी होना बहुत आवश्यक है। प्रार्थी का नाम उवत जमाबंदी के अलावा राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजी मे प्रार्थी का नाम बनवीर दर्ज है जबकि जमाबंदी मे मेरा नाम राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम वनवीर के स्थान पर बलवीर दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ। प्रार्थी का नाम वास्तविकता मे अन्य सभी दस्तावेज व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम बनवीर है। यह कि यदि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध नहीं हुआ तो प्रार्थी की जीवन भर कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडेगा। जिससे प्रार्थी वर्तमान में बैंक के०सी०सी० तथा पी०एम० निधी नही मिल रही है। तथा प्रार्थी को भविष्य में भी कई प्रकार से आर्थिक नुकसान हो सकता है। प्रार्थी का नाम बलवीर के स्थान पर बनवीर होना राजस्व रिकार्ड मे अतिआवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रामपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 55 फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा में स्थित है। वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया है फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थी का नाम बनवीर के स्थान पर बलवीर दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम बनवीर है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के अलाला अन्य दस्तावेजों में बनवीर सही दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही कराना चाहता है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बलवीर के स्थान पर बनवीर दर्ज किया जावें। जिससे प्रार्थी को आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 55 में बलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाटव निवासी सा0देह दर्ज है प्रार्थी की बैंक पास बुक परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम बनवीर है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रामपुरिया की जमाबन्दी खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 194/1 रकबा 0.7588 है0 वाके माल रामपुरिया में बलवीर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/7 जाति जाटव सा0देह दर्ज है ग्राम वासियान से जानकारी पर बताया कि गांव में बनवीर नाम से जानतें है खाता संख्या 55 के समस्त खातेदारों से पुछताछ पर भी यह जाहिर हुआ कि बनवीर व बलवीर एक ही व्यक्ति है बलवीर नाम का कोई व्यक्ति गांव में निवास नही करता है समस्त दस्तावेजों एवं ग्राम वासियों व सह खातेदारो से यह सिद्ध होता है कि बनवीर व बलवीर एक ही व्यक्ति है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बलवीर से बनवीर करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है। कि प्रार्थी का सही नाम बनवीर है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 194/1 रकबा 0.7588 है में प्रार्थी का नाम बलवीर के स्थान पर बनवीर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)